सिंह, पता–ओलीपुर,

लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स अवनीश कंस्ट्रक्शन, पार्टनर–श्री सुभाष सिंह, पिता–श्री राम चंदर सिंह, पता–ओलीपुर, खवाजेपुर, जिला–गोपालगंज द्वारा भोजपुर सोन–10 बालू घाट मौजा–सारीमपुर बचरी (183), पोस्ट–अखगांव, थाना–संदेश, ब्लॉक–संदेश, जिला–भोजपुर के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 01.06.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे भोजपुर जिला के संदेश प्रखण्ड सभागार, संदेश, जिला–भोजपुर में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2059/2022, के आलोक में श्री निरोज कुमार भगत, नगर आयुक्त, नगर निगम, आरा, भोजपुर (जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 01.06.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे संदेश प्रखण्ड सभागार, संदेश, जिला–भोजपुर में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न **(अनुलग्नक–1)**

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 28.04.2023 को प्रकाशित की गयी थी **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (720 नं0)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management

Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री गजेन्द्र कुमार सिंह, पिता– श्री शशिकान्त, ग्राम– बचरी, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि जिला खनिज फाउंडेशन में संचित 2% राशि से क्षेत्र का विकास करने के लिए किनसे सम्पर्क करना पड़ेगा। खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी, जिला खनिज फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। हर महीने कमीटि का बैठक होता है। आप अपना प्रस्ताव व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जिला पदाधिकारी या जिला खनन कार्यालय में दे सकते हैं। अगर आपके प्रस्ताव पर संबंधित विभाग लाभ नहीं देता है, तो इस फाउंडेशन के माध्यम से क्षेत्र के विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि हेतु) किया जायेगा। श्री गजेन्द्र द्वारा पुनः पूछा गया कि ध्वनि प्रदूषण को कैसे कम किया जायेगा, सारे जीव–जन्तु इससे प्रभावित है। खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि खनन के दौरान आने वाले वाहन को पहले विभाग से रजिस्टर्ड करवाना होगा। PUC प्राप्त वाहनों का ही उपयोग की अनुमति दी जायेगी। संवेदक सुनिश्चित करेंगे कि आबादी वाले रास्ते का उपयोग न हो। रोड के अगल–बगल पेड़ पौधे लगायें।
2.	श्री पिंटु कुमार सिंह, पिता–श्री वीरेन्द्र सिंह, ग्राम– बचरी, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा बताया गया कि जाम (ट्रेफिक) के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, इनका पढ़ाई प्रभावित होता है। आपातकाल स्थिति में भी लोग लाचार हो जाते हैं। खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि यातायात नियमों का अनुपालन होना चाहिए। यातायात पुलिस को क्षेत्र में ड्यूटी लगनी

for Sand

		चाहिए। इनके द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी द्वारा इसके लिए प्रस्ताव दिया जा रहा है, कुछ ही दिनों में सुधार दिखेगा।
3.	श्री आदित्य कुमार, पिता–श्री सत्यदेव यादव, ग्राम–सरीमपुर बचरी, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा बताया गया कि गाड़ी जो चलता है तो धूल उड़ता है, फसल नष्ट होता है। इसका उपाय हो। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि गाड़ी को तिरपाल से ढक्कर ले जायेंगे। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा। नियमित रूप से जल–छिड़काव किया जायेगा।
4.	श्री विनय कुमार सिंह, पिता–श्री रामबदन सिंह, ग्राम–विष्णुपुर बचरी, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा बताया गया कि नदी का किनारा खाली है। खनन वहीं से किया जाय, जहाँ बालू उपलब्ध हो। खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि RQP द्वारा गाइड–लाईन्स के अनुसार ही अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्राप्त होता है। माईनिंग Approval के उपरांत ही खनन हेतु घाट बनाया जाता है। हर साल मॉनसून में नदी में बालू आता है। बालू नहीं रहने पर खनन नहीं होगा।
5.	श्री वेद प्रकाश सिंह, पिता–श्री कपिल सिंह, ग्राम–सारीमपुर बचरी, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा बताया गया कि धूल की समस्या रहती है, आबादी के बगल से रास्ता बना लेते हैं पानी भी छिड़काव नहीं किया जाता है। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया कि आबादी के बगल से रास्ता नहीं बनाया जायेगा। पानी का छिड़काव भी नियमित रूप से किया जायेगा।
6.	श्री विकास कुमार सिंह, पिता–श्री बलदेव सिंह, ग्राम–सरीमपुर बचरी, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा बताया गया कि 700 पौधा कम है। कम–से–कम 1500 पेड़ लगना चाहिए। नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि यह सुझाव बहुत अच्छा है। ग्रामीण भी अगर पौधा लगायें तो और बेहत्तर होगा। हर लोग 2–4 पौधा लगायें। खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अगर स्थानीय लोग पेड़–पौधा की मांग करते हैं, तो

		संवेदक उनको निःशुल्क पेड़–पौधा उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। मिशन कायाकल्प के तहत् खनन प्रभावित क्षेत्र का विकास किया जाता है। इस क्षेत्र के प्रभावित आम जनता भी अपना मांग रख सकती है, इस राशि से उसको पूरा करने का अनुशंसा किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

पौधों का रख–रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि अगर काम प्रारंभ होगा तो समस्या आयेगी। संवेदक से मिलकर समस्या का निराकरण सुनिश्चित करायें। लाभ तभी मिलेगा जब सकारात्मक सोच रखेंगे। गाँव की अर्थ–व्यवस्था में भागीदारी बनें। जिला प्रशासन के साथ–साथ गाँव के लोग भी अनुपालन सुनिश्चित करायें। मिशन कायाकल्प के तहत् प्रभावित क्षेत्र का विकास में तेजी आयेगी।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

5-6-23 क्षेत्रीय पदाधिकारी बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,पटना	नगर आयुक्त, नगर निगम आरा, भोजपुर

पेज–पौधा

उपस्थिति सूची

मेसर्स अवीनश कंट्रक्शन, पार्टनर-श्री सुभाष सिंह द्वारा सोन 10 बालू घाट, मौजा-सरीमपुर बचरी (183), पोस्ट-अखगांव, थाना+अंचल-संदेश, जिला-भोजपुर में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

स्थान:- संदेश प्रखण्ड सभागार दिनांक:- 01.06.2023 समय:- 11:00 A.M.

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Niraj Kr. Bhagat	M. Commissioner Ara.	[signature] 1/6/23
2.	आशीष कुमार गुप्त	क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि०रा० प्र०नि०पर्षद, पटना	आग 1-6-23
3.	आनंद प्रकाश	[illegible]	[signature] 01/06/23
4.	Digvijay Singh	Asst. Scientific officer B.S.P.C.B, Patna	[signature] 01/06/2043
5.	नीतीश कुमार	P&M Solution, Raja Bazar, Patna.	Nitish Kr
6.	गजेन्द्र सिंह	बचरी	गजेन्द्र सिंह
7.	[signature]	सारीपुर	[signature]
8.	Vinay Singh	Bachri	[signature]
9.	राजकुमार यादव	सारीपुर	राजकुमार यादव
10.	Bunty Kr Singh	बचरी	Bunty Kr Singh
11.	Arvind Singh	सारीपुर	[signature]
12.	बीरेन्द्र कुमार	सारीपुर	[signature]

13.	लखन चौधरी	बेचरी	[illegible]
14.	मनवीर सिंह	भरतपुरा गांव	[illegible]
15.	संतोष कुमार सिंह	बेचरी	संतोष कुमार सिंह
16.	आदित्य कुमार	सारीपुर बेचरी	आदित्य कुमार
17.	गौरव सिंह	नारायणपुर	S Singh
18.	सोनाधारी यादव	सारीपुर बेचरी	सोनाधारी
19.	देव कुमार यादव	सारीपुर	[illegible]
20.	मोनू कुमार सिंह	बेचरी	मोनू कुमार
21.	जयशंकर सिंह	सारीपुर बेचरी	जयशंकर सिंह
22.	Bicky Singh	Narayanpur	bicky singh
23.	Banti Singh	Narayanpur	Banti Singh
24.	सोनू सिंह	नारायणपुर	Sonu Singh
25.	चन्दन सिंह	नारायणपुर	Chandan Singh
26.	विनोद यादव	सारीपुर बेचरी	Binod yadav
27.	[illegible] नाथ सिंह	[illegible] पोस्ट [illegible]	[illegible]